[2019] 12 एस. सी. आर 607

आय कर आयुक्त, करनाल (हरियाणा)

वी.

मेसर्स कार्पेट इंडिया, पानीपत (हरियाणा)

(2018 की सिविल अपील संख्या 4590)

अगस्त 27,2019

[आर. एफ. नरीमन, आर. सुभाष रेड्डी और सूर्या कान्ट, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961:

एस। 80 एच. एच. सी.-की उपलब्धता के तहत कटौती

सहायक निर्माता-चाहे वास्तविक प्रत्यक्ष के बराबर हो

निर्यातक-आयोजितः सहायक निर्माता पूरी तरह से खड़े हैं

निर्यातकों से अलग आधार-सहायक निर्माताओं यू/एस से संबंधित कटौती का दावा करने के लिए मापदंड और योजना। 80 एचएचसी (1 ए) आर/डब्ल्यू। (3 ए) निर्यातकों यू/एस से पूरी तरह से अलग है। 80 एचएचसी (1) आर/डब्ल्यू (3)।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 जहां निर्धारिती किसी माल या माल के भारत से बाहर निर्यात के व्यवसाय में लगा हुआ है, जिस पर आयकर अधिनियम की धारा 80 एच. एच. सी. (1) लागू होती है, वहां निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में जो अनुमति दी जाएगी, वह उप-धारा में निर्दिष्ट लाभ की सीमा तक की कटौती है।

(1(ख) और निर्धारिती द्वारा ऐसी वस्तुओं या माल के निर्यात से प्राप्त किया गया। जहाँ तक "सहायक निर्माताओं" की बात है संबंधित, धारा 80 एचएचसी (1 ए) के तहत, जहां किसी भी निर्यात घराने या व्यापार घराने ने एक प्रमाण पत्र जारी किया है कि

वास्तव में, निर्माता ने निर्यात के लिए ऐसी वस्तुओं या माल की आपूर्ति की है, उन्हें निर्धारिती द्वारा निर्दिष्ट लाभ की सीमा तक कटौती की भी अनुमति दी जाएगी।

निर्यात गृह या व्यापार गृह को माल या माल।

[पैरा 3] [614-डी-ई]

1.2 जहां तक निर्यातक का संबंध है, कटौती का तरीका उप-धारा (3) में निर्धारित किया गया है, जिसे जब इसके प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि

ऐसे निर्यात से प्राप्त राशि में और वृद्धि की जाएगी

पहले परंतुक द्वारा प्रदान किया गया तरीका; और जहां निर्यात कारोबार होता है

दूसरे परंतुक द्वारा प्रदान किए गए तरीके से दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और जहां निर्यात कारोबार अधिक है। दस करोड़ रुपये, तीसरे परंतुक द्वारा प्रदान किए गए तरीके से। जहां तक उप-धारा (3 ए) का संबंध है, उनकी अनुपस्थिति से उप-धारा (3) में कोई भी प्रावधान स्पष्ट होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सहायक द्वारा प्राप्त लाभ

निर्माता धारा 80 एचएचसी (3 ए) में निहित प्रावधानों के अनुसार सख्ती से अनुभाग के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाएगा, जो तब स्पष्टीकरण (बीएए) के तहत "व्यवसाय के लाभ" को परिभाषित करता है। [पैरा 3] [614-एफ-एच]

1.3 इस वैधानिक योजना को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि

निर्यातक सहायक निर्माता से पूरी तरह से अलग आधार पर खड़ा है क्योंकि इसके लिए मापदंड और योजना है। 80 एचएचसी (1) के तहत निर्यातकों से संबंधित कटौती का दावा करना, जिसे (3) के साथ पढ़ा जाता है, समर्थन करने से पूरी तरह अलग है।

धारा 80 एचएचसी (1 ए) के तहत निर्माताओं को इसके (3 ए) के साथ पढ़ा जाता है। [पैरा 4] [615-सी]

सी. आई. टी. वी. सतीश कुमार गुप्ता (सी. ए. नं. 6437/2012)

12.09.2012 पर निर्णय लिया गया-रद्द कर दिया गया।

आयकर आयुक्त, तिरुवनंतपुरम बनाम।

बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स, कोल्लम (2007) 4 एससीसी 555:

[2007] 4 एससीआर 628-प्रतिष्ठित।

आयकर आयुक्त, करनाल (हरियाणा) v.

कार्पेट इंडिया, पानीपत (हरियाणा) (2018) 6 एससीसी 620:

[2018] 7 एस. सी. आर. 1092-संदर्भित।

2. सिविल अपील सं। 4593 , 4594 , 4595 , 4596 , 4597 , 4598

और 2018 के 4599, विवादित निर्णयों को दरकिनार कर दिया गया है। हालांकि, उपरोक्त मामलों में प्रतिवादी के लिए आवश्यक तथ्यों को जोड़कर यह दिखाने के लिए खुला रहेगा कि वे प्रत्यक्ष निर्यातक भी हैं और इसलिए कटौती का लाभ उठा सकते हैं। (3) के साथ पठित धारा 80 एचएचसी (1) के तहत उपलब्ध है। इस उद्देश्य के लिए, ये मामले अपीलीय न्यायाधिकरण को भेजे जाते हैं। [पैरा 7,8]

मामला कानून संदर्भ

[2007] 4 एससीआर 628

प्रतिष्ठित

पै

रा 1

[2018] 7 एससीआर 1092

संदर्भित किया गया है

पैरा 5 आय कर आयुक्त, करनाल (हरियाणा) v. कार्पेट इंडिया, पानीपत (हरियाणा)

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4590

2018 से।

उच्च न्यायालय के 13.05.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2007 के आई. टी. ए. सं. 544 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का न्यायालय।

के साथ

सिविल अपील सं। 4591 , 4599 , 4592 , 4593 , 4594 , 4603 , 4596 , 4595 , 4597 , 4598 2018 से। के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रुपेश कुमार, एम. पी. गुप्ता, उमेश कुमार सॉ, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

डॉ. राकेश गुप्ता, अंभोज कुमार सिन्हा, सुश्री मोनिका घई,

रोहित, अनुनाव कुमार, जगदीश कुमार चावला, टी. महिपाल,/एस. लेक्स-पेरिटिया एंड कंपनी, एड. उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

सिविल अपील सं। 4590 , 4591 , 4592 और 2018 का 4603:

1. अपीलों का यह समूह द्वारा पारित एक निर्णय से उत्पन्न होता है

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय, जिसमें राजस्व द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया है।

आयकर आयुक्त, तिरुवनंतपुरम बनाम बेबी

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एचएचसी के तहत (संक्षेप में 'अधिनियम')। 2. इनमें से प्रत्येक मामले के तथ्यों में जाना अनावश्यक है क्योंकि यह निर्विवाद है कि इनमें से प्रत्येक मामले में निर्धारिती एक सहायक निर्माता है। अधिनियम की धारा 80 एच. एच. सी. के अनुसार यह योजना है -

चिंतित क्रिस्टल स्पष्ट है। धारा 80 एचएचसी के सीमांत नोट में लिखा है-निर्यात व्यवसाय के लिए रखे गए लाभ के संबंध में कटौती।

" 80 एचएचसी। (1) जहाँ एक निर्धारिती, एक भारतीय कंपनी होने के नाते या

भारत में रहने वाला एक व्यक्ति (एक कंपनी के अलावा)

भारत से बाहर किसी वस्तु के निर्यात का व्यवसाय या

जिस माल पर यह धारा लागू होती है, वह इस धारा के प्रावधानों के अनुसार और उनके अधीन, [2019] 12 एस. सी. आर. होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मालः बशर्ते कि यदि निर्धारिती, निर्यात गृह प्रमाणपत्र या व्यापार गृह प्रमाणपत्र का धारक है (इसके बाद इस में)

यथास्थिति, निर्यात गृह या व्यापार गृह के रूप में निर्दिष्ट धारा) उप-धारा (4ए) के खंड (बी) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र जारी करती है कि उसमें निर्दिष्ट निर्यात कारोबार की राशि के संबंध में इस उप-धारा के तहत कटौती की जाएगी।

किसी सहायक निर्माता को अनुमति दी जानी है, तो निर्धारिती के मामले में कटौती की राशि को ऐसी राशि से घटाया जाएगा जो निर्धारिती द्वारा व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त कुल लाभ के बराबर होगी, जैसा कि उक्त प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट निर्यात कारोबार की राशि का अनुपात है।

(1ए) जहां निर्धारिती, एक सहायक निर्माता होने के नाते, है पिछले वर्ष के दौरान, किसी भी निर्यात घराने या व्यापार घराने को माल या माल बेचा गया, जिसके संबंध में निर्यात घराने या व्यापार घराने ने इस प्रावधान के तहत प्रमाण पत्र जारी किया है -

उप-धारा (1) के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में लाभ की सीमा तक कटौती की अनुमति दी जाएगी।

उप-धारा (1ख) में निर्दिष्ट, जो निर्धारिती द्वारा निर्यात गृह या व्यापार को माल या माल की बिक्री से प्राप्त होता है।

घर जिसके संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया गया है

निर्यात गृह या व्यापार गृह।

XXX XXX XXX

(क) जहाँ भारत से बाहर निर्यात निर्धारिती द्वारा निर्मित या संसाधित वस्तुओं या माल का होता है, वहाँ ऐसे निर्यात से प्राप्त लाभ वह राशि होगी जो लाभ के बराबर होगी। व्यवसाय का, ऐसी वस्तुओं के संबंध में निर्यात कारोबार के समान अनुपात निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय के कुल कारोबार का वहन करता है; आय कर आयुक्त, करनाल (हरियाणा) v.

आर. पी. ई. टी. इंडिया, पानीपत (हरियाणा) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(ख) जहाँ भारत से बाहर व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात होता है, वहाँ ऐसे निर्यात से प्राप्त लाभ उस संबंध में निर्यात कारोबार होगा। ऐसी व्यापारिक वस्तुओं की, जो ऐसे निर्यात के कारण होने वाली प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागतों से कम हों;

(ग) जहाँ भारत से बाहर निर्यात निर्धारिती द्वारा निर्मित या संसाधित वस्तुओं या व्यापारिक वस्तुओं का होता है, वहाँ ऐसे निर्यात से प्राप्त लाभ -

((i) निर्धारिती द्वारा निर्मित या संसाधित माल या माल के संबंध में, वह राशि होगी जो -

व्यवसाय के समायोजित लाभ, ऐसी वस्तुओं के संबंध में समायोजित निर्यात कारोबार के समान अनुपात, द्वारा किए गए व्यवसाय के समायोजित कुल कारोबार का वहन करता है। निर्धारिती; और

((ii) व्यापारिक वस्तुओं के संबंध में, ऐसी व्यापारिक वस्तुओं के संबंध में निर्यात कारोबार हो जो ऐसी व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात के कारण होने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों से कम हो जाता हैः

बशर्ते कि इस उप-धारा के खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) के तहत संगणित लाभ को उस राशि से और बढ़ाया जाएगा जो खंड (आई. आई. ए.) (जो किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त लाइसेंस की बिक्री पर लाभ नहीं है) और धारा 28 के खंड (आई. आई. आई. बी.) और (आई. आई. सी.) में निर्दिष्ट किसी राशि का नब्बे प्रतिशत है, वही अनुपात जो निर्यात कारोबार निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय के कुल कारोबार का वहन करता हैः

बशर्ते कि निर्यात करने वाले निर्धारिती के मामले में

पिछले वर्ष के दौरान दस करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार, खंड (ए) या खंड (बी) या खंड के तहत संगणित लाभ

पिछले वर्ष के दौरान दस करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार, खंड (ए) या खंड (बी) या खंड के तहत संगणित लाभ (ग) इस उप-धारा के या पहले परंतुक, [2019] 12 एस. सी. आर. को प्रभावी बनाने के बाद।

यथास्थिति, राशि में और वृद्धि की जाएगी।

जो धारा 28 के खंड (आई. आई. डी.) में निर्दिष्ट किसी राशि का नब्बे प्रतिशत है, वही अनुपात जो निर्यात कारोबार निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय के कुल कारोबार का वहन करता है, यदि निर्धारिती के पास आवश्यक और पर्याप्त साक्ष्य है। यह साबित करने के लिए,

(क) उसके पास शुल्क की कमी या शुल्क पात्रता पास बुक योजना चुनने का विकल्प था, क्योंकि यह शुल्क था।

माफी योजना; और

(ख) सीमा शुल्क के कारण होने वाले ड्रॉबैक क्रेडिट की दर शुल्क पात्रता पास बुक योजना के तहत स्वीकार्य क्रेडिट की दर से अधिक थी, जो शुल्क छूट है।

योजनाः

बशर्ते कि निर्यात करने वाले निर्धारिती के मामले में भी

पिछले वर्ष के दौरान दस करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार, इस उप-धारा के खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) के तहत या पहले परंतुक को प्रभावी बनाने के बाद, जैसा भी मामला हो, संगणित लाभ को राशि से और बढ़ाया जाएगा।

जो धारा 28 के खंड (2) में निर्दिष्ट किसी राशि का नब्बे प्रतिशत है, जो निर्यात कारोबार के समान अनुपात है।

यदि निर्धारिती के पास आवश्यक और पर्याप्त सबूत हैं तो यह निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय के कुल कारोबार को प्रभावित करता है। यह साबित करने के लिए,

(क) उसके पास शुल्क की कमी या शुल्क मुक्त पुनर्भुगतान प्रमाण पत्र चुनने का विकल्प था, क्योंकि यह कर्तव्य था।

माफी योजना; और

(ख) सीमा शुल्क के कारण वापसी ऋण की दर शुल्क के तहत स्वीकार्य ऋण की दर से अधिक थी।

शुल्क छूट के रूप में निःशुल्क पुनःपूर्ति प्रमाण पत्र

योजना।

स्पष्टीकरण। - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "ऋण की दर"

गणना उस तरीके से की जाती है जिसे केंद्र द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है सरकारः

राजस्व कर का संरक्षक, करनाल (हरियाणा) v.

यह भी कि यदि इस उप-धारा के खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) के तहत गणना एक नुकसान है, तो ऐसा नुकसान 1 नब्बे प्रतिशत तक की राशि के बदले में भुगतान किया जाए।

खंड (आई. आई. डी.) या खंड (आई. आई. ई.) में निर्दिष्ट कोई राशि, मामला धारा 28 का हो सकता है, जैसा कि दूसरे या तीसरे या चौथे में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती के मामले में लागू होता है।

परन्तुक, जैसा भी मामला हो,

निर्यात कारोबार का अनुपात कुल के बराबर है।

निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय पर।

लैनेशन। - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,

व्यापारिक वस्तुओं के संबंध में निर्यात कारोबार में कमी; " व्यवसाय के समायोजित लाभ का अर्थ है उप-धारा (3) के खंड (ख) में दी गई रीति से संगणित भारत से बाहर व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात के व्यवसाय से प्राप्त लाभ से कम किया गया व्यवसाय का लाभ।

व्यापारिक सामान; " प्रत्यक्ष लागत का अर्थ है भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली व्यापारिक वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागत, जिसमें भारत से बाहर की गई वस्तुओं की खरीद मूल्य भी शामिल है।

ऐसी वस्तुएँ;

" अप्रत्यक्ष लागत का अर्थ है लागत, न कि प्रत्यक्ष लागत,

के संबंध में निर्यात कारोबार के अनुपात में आवंटित

कुल कारोबार के लिए माल का व्यापार;

" व्यापारिक वस्तुओं का अर्थ है ऐसी वस्तुएँ जो विनिर्मित नहीं हैं।

या निर्धारिती द्वारा संसाधित।

) उप-धारा (1 ए) के प्रयोजनों के लिए, माल या माल की बिक्री से पोर्टिंग निर्माता द्वारा प्राप्त लाभ

(क) ऐसे मामले में जहां सहायक निर्माता द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय में विशेष रूप से वस्तुओं की बिक्री शामिल है या

एक या अधिक निर्यात घरानों या व्यापारिक घरानों को माल, व्यवसाय का लाभ;

(ख) ऐसे मामले में जहां सहायक निर्माता द्वारा किए गए व्यवसाय में केवल एक या अधिक निर्यात घरानों या व्यापारिक घरानों को माल या माल की बिक्री शामिल नहीं है, वह राशि जो व्यवसाय के लाभ के लिए कारोबार के संबंध में कारोबार के समान अनुपात का वहन करती है।

संबंधित एक्सपोर्ट हाउस या ट्रेडिंग हाउस भालू को बिक्री द्वारा किए गए व्यवसाय के कुल कारोबार के लिए

मूल्यांकनकर्ता "।

3. धारा 80 एचएचसी (1) के विश्लेषण पर यह ध्यान दिया जाएगा कि जहां निर्धारिती भारत से बाहर निर्यात के व्यवसाय में लगा हुआ है।

किसी भी वस्तु या माल की, जिस पर यह धारा लागू होती है, निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में क्या अनुमति दी जाएगी, एक कटौती है।

पहले परंतुक द्वारा प्रदान किए गए तरीके से वृद्धि; और जहां निर्यात कारोबार दूसरे परंतुक द्वारा प्रदान किए गए तरीके से दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; और जहां निर्यात कारोबार रुपये से अधिक है दस करोड़, तीसरे परंतुक द्वारा प्रदान किए गए तरीके से। क्या है?

जहां तक उप-धारा (3 ए) का संबंध है, उनकी अनुपस्थिति से उप-धारा (3) में कोई भी प्रावधान स्पष्ट होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सहायक निर्माता द्वारा प्राप्त लाभ सख्ती से निम्नलिखित में होगाः

धारा 80 एचएचसी (3 ए) में निहित प्रावधानों के अनुसार धारा के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाता है, जो तब स्पष्टीकरण (बीएए) के तहत "व्यवसाय के लाभ" को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः

आय कर आयुक्त, करनाल (हरियाणा) v.

कार्पेट इंडिया, पानीपत (हरियाणा) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" "व्यवसाय के लाभ" से व्यवसाय का लाभ अभिप्रेत है - "व्यवसाय के लाभ और लाभ" शीर्षक के तहत गणना की गई या

पेशा "के रूप में कम किया गया

(1) धारा 28 के खंड (आई. आई. ए.), (आई. आई. आई. बी.), (आई. आई. आई. सी.), (आई. आई. आई. डी.) और (आई. आई. आई. सी.) में निर्दिष्ट किसी राशि का नब्बे प्रतिशत या दलाली, कमीशन, ब्याज, किराया, शुल्क या किसी अन्य माध्यम से प्राप्तियों का।

ऐसे लाभों में शामिल समान प्रकृति की अन्य रसीदें; और

(2) किसी शाखा, कार्यालय, गोदाम या किसी अन्य के लाभ

निर्धारिती की स्थापना भारत के बाहर स्थित है।

4. इस वैधानिक योजना को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि निर्यातक सहायक निर्माता से पूरी तरह से अलग स्थिति में है।

(3) के साथ पठित 80 एच. एच. सी. (1) के तहत निर्यातकों से संबंधित कटौती का दावा करने के लिए मापदंड और योजना धारा 80 एच. एच. सी. (1 ए) के साथ पठित (3 ए) के तहत सहायक निर्माताओं से पूरी तरह से अलग है।

5. हम पारित करते समय उल्लेख कर सकते हैं कि यह मामला रखा गया है।

आयकर आयुक्त, करनाल (हरियाणा) बनाम मामले में निर्णय द्वारा तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष। कारपेट इंडिया, पानीपत (हरियाणा)

(2018) 6 एस. सी. सी. 620, जहाँ इस न्यायालय ने धारा 80 एच. एच. सी. (3 ए) के प्रावधानों का विश्लेषण किया और उसके बाद बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स (उपरोक्त) में निर्णय को निम्नानुसार स्वीकार कियाः

" 15) बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स (ऊपर) में, कानून का सवाल शामिल है

यह था कि क्या निर्यात घराने द्वारा प्राप्त प्रीमियम

निर्धारिती "व्यवसाय के लाभ" में शामिल है धारा के तहत कटौती की गणना करते समय निर्धारिती

80 आयकर अधिनियम, 1961 का एच. एच. सी? . मुख्य रूप से उक्त मामला निर्यात गृह की पात्रता से संबंधित मुद्दे से निपटा गया

आई. टी. अधिनियम की धारा 80 एच. एच. सी. के तहत कटौती। जबकि इसमें तत्काल मामले में, विचार का मुख्य बिंदु यह है कि क्या

निर्धारिती-फर्म, एक सहायक निर्माता होने के नाते, इलाज किया जाना है
कटौती के उद्देश्य से प्रत्यक्ष निर्यातक के बराबर
आईटी अधिनियम की धारा 80 एचएचसी के तहत निर्यात प्रोत्साहन
तत्काल मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए।

16) बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स (ऊपर) में इस मुद्दे को तय करते समय, ए
इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 39. धारा 80 एचएचसी (1-ए) के स्पष्ट निर्माण पर, प्रत्यर्थी स्पष्ट रूप से कुल आय की गणना में निर्यात घराने से प्राप्त प्रीमियम राशि की कटौती का दावा करने का हकदार है। निर्यात गृह प्रीमियम को व्यावसायिक लाभ में शामिल किया जा सकता है क्योंकि यह प्रत्यर्थी के व्यावसायिक संचालन का एक अभिन्न अंग है जिसमें माल की बिक्री शामिल है। निर्यात गृह को प्रत्यर्थी "।

17. उपरोक्त निर्णय के बाद इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ ने 2009 की विशेष अनुमति (दीवानी) संख्या 7615,2012 की दीवानी अपील संख्या 6437 और अन्य, आयकर आयुक्त करनाल बनाम। सुशील कुमार गुप्ता

" क्या किसी सहायक निर्माता (निर्धारिती) के पक्ष में अस्वीकृत निर्यात लाभों का 90 प्रतिशत आय की धारा 80 एचएचसी के स्पष्टीकरण (बीएए) के संदर्भ में कम किया जाना चाहिए। कर अधिनियम, 1961, अधिनियम की धारा 80 एचएचसी (3 ए) के तहत ऐसे सहायक निर्माता के लिए स्वीकार्य कटौती की गणना करते समय? ”

4. इस प्रश्न का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में और सी. आई. टी. बनाम बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स [2007] 290 आई. टी. आर. 323/160 टैक्समैन 160 के मामले में विभाग के खिलाफ दिया गया है।

5. तदनुसार, विभाग द्वारा दायर दीवानी अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

मोटे तौर पर हमारा मानना है कि ये दोनों मामले हैं - यह समान नहीं है और आईटी अधिनियम की धारा 80 एचएचसी के तहत सहायक निर्माता द्वारा निर्यात प्रोत्साहन की कटौती से संबंधित नहीं हो सकता है।

18) हालाँकि, हम इन निर्णयों से सहमत नहीं हैं और चूंकि धारा 80 एचएचसी का स्पष्टीकरण (बीएए) विशेष रूप से आई. टी. अधिनियम की धारा 28 (आई. आई. ए.) से (आई. आई. ई.) के लिए संदर्भित राशि के 90 प्रतिशत की कटौती को कम करता है, इसलिए, हमारा विचार है कि इन निर्णयों पर एक बड़ी पीठ द्वारा फिर से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इस मुद्दे पर

दोनों के लिए मौद्रिक लाभ के संदर्भ में बड़ा प्रभाव

पार्टियाँ। विचारपूर्वक विचार करने के बाद, निम्नलिखित आय कर आयुक्त, करनाल (हरियाणा) v.

कार्पेट इंडिया, पानीपत (हरियाणा) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सामान्य महत्व के कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है

इस न्यायालय द्वारा पुनः विचारः

" चाहे तत्काल मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, सहायक निर्माता जो शुल्क वापसी (डी. डी. बी.), शुल्क के रूप में निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त करता है। एनटाइटलमेंट पास बुक (डी. ई. पी. बी.) आदि के तहत कटौती का हकदार है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एचएचसी? "

6. हम संदर्भित निर्णय के तर्क और विश्लेषण से सहमत हैं, अर्थात्, बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स (ऊपर) ने एक अधिनियम की धारा 80 एचएचसी के तहत कटौती के उद्देश्य से व्यावसायिक लाभ में शामिल करने के लिए निर्यात गृह प्रीमियम की पात्रता से संबंधित मुद्दा। जबकि वर्तमान अपीलों में, विचार करने का मुद्दा पूरी तरह से अलग है, यह देखते हुए कि क्या निर्धारिती निर्माताओं का समर्थन कर रहे हैं, अधिनियम की धारा 80 एचएचसी के तहत निर्यात प्रोत्साहन की कटौती के उद्देश्य से प्रत्यक्ष निर्यातक के बराबर माना जाना चाहिए। इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर यह कहते हुए देते हैं कि बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स (उपरोक्त) पूरी तरह से अलग है।

जैसा कि हमने ऊपर बताया है। नतीजतन, सी. आई. टी. बनाम. सतीश कुमार गुप्ता (सी. ए. नं. 6437/2012) ने 12.09.2012 पर निर्णय लिया है। 7. यह मामला होने के कारण, हम राजस्व के पक्ष में इन अपीलों की अनुमति देते हैं और विवादित निर्णयों को दरकिनार कर देते हैं।

सिविल अपील सं। 4593 , 4594 , 4595 , 4596 , 4597 , 4598 और 4599

2018 काः

8. इन अपीलों में भी विवादित निर्णयों को दरकिनार कर दिया जाता है। हालाँकि, उपरोक्त मामलों में प्रत्यर्थी के लिए आवश्यक तथ्यों को जोड़कर यह दिखाने के लिए खुला रहेगा कि वे प्रत्यक्ष निर्यातक भी हैं और इसलिए धारा 80 एचएचसी (1) के तहत उपलब्ध कटौती का लाभ उठा सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए, ये मामले अपीलीय न्यायाधिकरण को भेजे जाते हैं। तदनुसार, इन अपीलों का निपटारा किया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी